न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, (फा0ट्रै0) नगर

पीठासीन अधिकारी :– राजवीरसिंह यादव, आर0ए0एस0

मुकद्मा नम्बर :– 540 / 2013

1. प्रताप पुत्र कमरसिंह जाति मेव निवासी ग्राम भूतका तह0 नगर (भरतपुर)
2. सुबान खां | पिस0 प्रताप जाति मेव निवासी ग्राम भूतका तह0 नगर (भरतपुर)
3. सुबेदीन

सायलान

बनाम

1. रूज्जू खां पुत्र सफेदा खां
2. ईशाक पुत्र रूज्जू
3. शरीफ पुत्र रूज्जू
4. अमरू पुत्र ईशाक
5. सफेद खां पुत्र निहाल खां
   जातियान मेव निवासी ग्राम भूतका तह0 नगर
6. तहसीलदार साहब तहसील नगर (भरतपुर)

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0

उपस्थित –

श्री श्यामबाबू सेठी, अधिवक्ता सायलान

श्री दिनेश कुमार, अधिवक्ता गैरसायलान

निर्णय दिनांक 23 / 11 / 2017

सायलान द्वारा यह प्रार्थना पत्र अपने मूल वाद के साथ इस आशय का पेश किया है कि आराजी ख0नं0 390 / 0.14, 391 / 0.19, 373 / 0.06, 374 / 0.26 बाके ग्राम भूतका तह0 नगर सायलान के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है जिस पर सायलान शांतिपूर्वक काबिज रहकर उपयोग में लेते चले आ रहे है । पूर्व में उक्त रकवा ज्यादा था जो इस प्रकार था कि ख0नं0 390 / 0.18, 391 / 0.22, 373 / 0.12, 374 / 0.37 है0 था । इन रकबों के मध्य से सडक निकल

जाने से अब रकबा 0.24 हैक्टे0 कम रह गया है । विवादित आराजी के तरफ पश्चिम व दक्षिण गैरसायलना के खेत लगे हुए हैं जो सडक पर नही हैं जबकि सडक से लगे हुए सायलान के खेत हैं इस बात से गैरसायलान सायलान से सख्त रंजिश रखते हुए सायलान को नुकसान पहुॅचाने के फिराक में हैं । सायलान द्वारा अपने खेतों की सुरक्षा के लिए चारों तरफ दीवार बनाकर सुरक्षा की जिसको गैरसायलान ने एकराय होकर दिनां 15.01.2013 को दिवार हटाकर रास्ता कायम करने की धमकी दी है । यदि वह अपने इरादे में सफल हो गये तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद नही की जा सकती । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन सायलान के हक में हैं । अन्त में निवेदन किया है कि गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला बाद पाबंद फरमाया जावे कि वे विवादित आराजी सायलान के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा न करें व रास्ता आदि कायम न करें ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 01.02.2013 को एकपक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गयी कि वे आगामी पेशी दिनांक 25.03.2013 तक विवादित आराजी ख0नं0 390/0.14, 391/0.19, 373/0.06, 374/0.26 बाके ग्राम भूतका तह0 नगर जिला भरतपुर की मौका एवं रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखें ।

अप्रार्थीगण संख्या 5 व 6 बाबजूद सूचना उपस्थिति न्यायालय नही होने पर दिनांक 14.10.2016 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के अभिभाषक श्री दिनेश शर्मा, नोटेरी द्वारा दिनांक 10.01.2017 को न्यायालय में उपस्थिति दी । पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी लिखित जबाव प्रस्तुत नही किया जिस पर मूल दावा में दिनांक 28.04.2017 को उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी ।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की वहस सुनी तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया । नकल जमाबंदी सम्वत् 2066 से 2069 के खाता संख्या 73 पर आराजी ख0नं0 390/0.14, 391/0.19 की बावत् प्रताप पुत्र करीमखां कौम मेव साकिन देह खातेदार दर्ज होना पाया जाता है तथा खाता संख्या 74 पर आराजी ख0नं0 373/0.06, 374/0.26, 406/0.21 की बावत् प्रताप वल्द कमरसिंह 1/2 सुवानखां व सुबेदीन पिस0 प्रताप 1/2 हिस्सा कौम मेव साकिन देह खातेदार दर्ज होना पाया जाता है । इस प्रकार राजस्व रिकार्ड के उपरोक्तानुसार विवेचन से विवादित आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज होना साबित है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण व

सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होना तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित हैं तथा विवादित आराजी से अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई संबंध होना नही पाया जाता है । इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है । अतः आदेश है कि –

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 01.02.2013 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की पुष्टि दावा के निर्णय होने तक की जाती है।

(राजवीरसिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर

निर्णय आज दिनांक 23/11/2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीरसिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर